



न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी निगरानी 189-PBR-15

श्रीमती शारदा सहगल पत्नि श्री वीरेन्द्र  
कुमार सहगल आयु 62 वर्ष व्यवसाय व्यापार  
निवासी एफ-4 गांधी नगर ग्वालियर।

.....आवेदिका

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ  
स्टाम्प्स जिला ग्वालियर कार्यालय न्यू  
कलेक्ट्रेट भवन सिरोल रोड़, ग्वालियर
2. उपपंजियक महोदय, कार्यालय नजरबाग  
मार्केट ग्वालियर।
3. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर  
द्वारा महाप्रबंधक महोदय, सिटी सेन्टर  
ग्वालियर।

.....अनावेदकगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989  
विरुद्ध आदेश दिनांक 03.11.2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ  
स्टाम्प्स ग्वालियर जो प्रकरण क्रमांक 100/बी-105/ 2011-12  
/47 क-1 बउनवान म.प्र. शासन बनाम महाप्रबंधक जिला  
व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर आदि में पारित किया गया  
है।

दिनांक 22-1-15 को  
श्री अशोक कापड़े नामिष्ठ  
द्वारा प्रस्तुत।

२२-१-१५  
५०

श्री अशोक कापड़े  
एल-५. कापड़े  
२५

श्री अशोक कापड़े  
23/1/15-

श्री अशोक कापड़े

R. 189-PNR/15

12.4.2016

आवेदन की ओर से श्री एस.के. को  
कोष आयोग के निदेशों की ओर से श्री  
जी.एन. लाली आयोग उपस्थित। आयोग के  
आयोग के प्रकाश सप्तम-आयोग प्रकाश  
के हेतु वापस देने की इच्छा व्यक्त की।  
अनुभव स्वीकार किया जाता है। प्रकाश का  
द्वारा जने के कारण समाप्त किया जाता है।

*[Signature]*

*[Signature]*  
अध्यक्ष

Noted  
12-4-16  
Ashok Khedkar  
Mater. Sec.  
12-4-16